

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत' मर्दों¹ के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। चार्ट 3.1 में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।


चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण



¹ **भारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2021-22 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2017-22 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1.1** में दी गई है।

तालिका 3.1.1: 2017-22 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल बजट प्रावधान | | संवितरण | | बचत | |
|---------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | दत्तमत | भारित | दत्तमत | भारित | दत्तमत | भारित |
| 2017-18 | 1,02,879.77 | 22,110.63 | 84,418.03 | 18,544.66 | 18,461.74 | 3,565.97 |
| 2018-19 | 1,07,759.20 | 33,973.70 | 90,304.44 | 31,058.32 | 17,454.76 | 2,915.38 |
| 2019-20 | 1,19,003.62 | 37,446.09 | 98,167.61 | 31,688.66 | 20,836.01 | 5,757.43 |
| 2020-21 | 1,27,589.40 | 52,415.44 | 95,535.91 | 46,873.19 | 32,053.49 | 5,542.25 |
| 2021-22 | 1,47,174.90 | 48,514.54 | 1,06,051.98 | 44,110.17 | 41,122.92 | 4,404.37 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारत और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्षणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारत और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अतः, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

3.3.1 कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजन अधिनियम पारित किए बिना राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम या पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के और इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना चार अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) *(विवरण तालिका 3.3.1 में दिया गया है)* में ₹ 170.02 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका 3.3.1: प्रावधान किए बिना किए गए व्यय का विवरण

| क्र. सं. | व्यय का प्रमुख शीर्ष/लघु/उप शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|--|--|-----------------------|
| अनुदान संख्या 8- भवन तथा सड़कें | | |
| 1. | 3054 - सड़कें और पुल, 80 - सामान्य, 797 - आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण, 99- आपदा राहत कोष को/से अंतरण - इंटर अकाउंट ट्रांसफर | 163.71 |
| 2. | 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 90-नए आईटीआई का निर्माण (स्वर्ण जयंती) | 0.74 |
| अनुदान संख्या 21- महिला एवं बाल विकास | | |
| 3.. | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 02-समाज कल्याण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 98-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान | 0.90 |
| अनुदान संख्या 24- सिंचाई | | |
| 4. | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 14-दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण - दादुपुर नलवी नहर नेटवर्क | 4.67 |
| | कुल | 170.02 |


स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 34 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,627.06 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 69,958.14 करोड़) मूल प्रावधानों (₹ 91,911.57 करोड़) के स्तर तक नहीं पहुंचा। 16 मामलों में, ₹ 13,159.93 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 4,747.66² करोड़) से ₹ 8,412.27 करोड़ से अधिक था (परिशिष्ट 3.1)। दूसरी ओर, एक मामले में (अनुदान संख्या 7- योजना एवं सांख्यिकी) ₹ 0.70 करोड़ का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि यह ₹ 64.13³ करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 63.43 करोड़ कम हो गया। अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त पूरक प्रावधानों का विवरण चार्ट 3.3 में दिया गया है।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 45,527.29 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 61,829.56 करोड़ की राशि 45 अनुदानों के पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,302.27 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ।

पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 70 उप-शीर्षों में ₹ 21,023.11 करोड़ से

² ₹ 4,747.66 करोड़ = व्यय: ₹ 31,142.86 करोड़ - मूल प्रावधान: ₹ 26,395.20 करोड़।

³ ₹ 64.13 करोड़ = व्यय: ₹ 110.33 करोड़ - मूल प्रावधान: ₹ 46.20 करोड़।

अधिक के आधिक्य और 43 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,665.56 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित हैं। 59 उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी। एक⁴ मामले में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से ज्यादा था और 25⁵ मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, व्यय अनुपलब्ध प्रावधानों के विरुद्ध किया गया था। चार⁶ मामलों में, निधियों का पुनर्विनियोजन अत्यधिक साबित हुआ, क्योंकि बचत पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 11⁷ मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर, 70 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,66,913.46 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,24,089.59 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42,823.87 करोड़ की बचत हुई। इसमें से ₹ 61,751.01 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट 3.3**), ₹ 18,927.14 करोड़ अभी भी किए गए व्यय से अधिक थे, जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 10 मामलों में ₹ 4,508.65 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 1,496.12 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 38 मामलों में, ₹ 32,111.45 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 52,534.31 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। 22 मामलों में ₹ 6,203.77 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक

⁴ **परिशिष्ट 3.2** की क्रम संख्या 46

⁵ **परिशिष्ट 3.2** की क्रम संख्या 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 44, 57, 64, 90, 91 तथा 92

⁶ **परिशिष्ट 3.2** की क्रम संख्या 5, 36, 77 तथा 88

⁷ **परिशिष्ट 3.2** की क्रम संख्या 4, 26, 31, 38, 54, 87, 96, 101, 105, 109 तथा 110

बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचतें

कुल बचत ₹ 45,527.29 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 38 मामलों में ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत थी (परिशिष्ट 3.4)। इन 38 मामलों में, ₹ 1,89,641.23 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,45,525.33 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें तालिका 3.3.5.1 में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.3.5.1: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण


(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या और नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक | बचत |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 1 | 4-राजस्व | 1,573.32 | 856.3 | 2,429.62 | 1,880.32 | 549.30 |
| 2 | 6-वित्त | 19,335.15 | 881.5 | 20,216.65 | 11,212.92 | 9,003.73 |
| 3 | 9-शिक्षा | 17,162.02 | 139.95 | 17,301.97 | 14,473.22 | 2,828.75 |
| 4 | 13-स्वास्थ्य | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | 1,123.75 |
| 5 | 15-स्थानीय शासन | 4,101.10 | 4,162.58 | 8,263.68 | 4,566.88 | 3,696.80 |
| 6 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,474.13 | 359.71 | 1,833.84 | 1,223.37 | 610.47 |
| 7 | 24-सिंचाई | 3,066.14 | 15 | 3,081.14 | 2,034.93 | 1,046.21 |
| 8 | 27-कृषि | 3,301.07 | 587.04 | 3,888.11 | 2,603.64 | 1,284.47 |
| 9 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | 4,171.72 |
| 10 | 33-सहकारिता | 504.21 | 703.45 | 1,207.66 | 447.21 | 760.45 |
| 11 | 36-गृह | 5,605.89 | 1,276.11 | 6,882.00 | 5,108.90 | 1,773.10 |
| 12 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 2,030.35 | 442.55 | 2,472.90 | 1,856.28 | 616.62 |
| 13 | 40-ऊर्जा और विद्युत | 6,452.78 | 2,894.81 | 9,347.59 | 7,143.61 | 2,203.98 |
| | कुल | 76,620.15 | 13,559.07 | 90,179.22 | 60,509.87 | 29,669.35 |
| राजस्व भारित | | | | | | |
| 14 | 6-वित्त | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | 1,581.82 |
| | कुल | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | 1,581.82 |
| पूंजीगत (दत्तमत) | | | | | | |
| 15 | 13-स्वास्थ्य | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.7 | 523.91 |
| 16 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 15,233.28 | 501 | 15,734.28 | 12,942.15 | 2,792.13 |
| 17 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 1,393.51 | 858.45 | 2,251.96 | 1,725.85 | 526.11 |
| 18 | 40-ऊर्जा और विद्युत | 763.42 | 0 | 763.42 | 10.41 | 753.01 |
| 19 | 45-ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | 1,162.11 |
| | कुल | 19,788.37 | 2,509.27 | 22,297.64 | 16,540.37 | 5,757.27 |
| पूंजीगत (भारित) | | | | | | |
| 20 | लोक ऋण | 28,161.19 | 0 | 28,161.19 | 25,472.96 | 2,688.23 |

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 के दौरान 58 योजनाओं (वैतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 3.5)।

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है।

बजट आबंटन के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को चार्ट 3.4 में वर्गीकृत किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

इसके अतिरिक्त, अनुदानों और विनियोजन की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में 22 अनुदानों, पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत नौ अनुदानों और दो विनियोजनों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बचत के साथ अनुदान/विनियोजन का विवरण **तालिका 3.3.5.2** में दिया गया है।

तालिका 3.3.5.2: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | बचत की राशि | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 1. | 10-तकनीकी शिक्षा | 92.61 (21) | 68.17 (15) | 58.23 (10) | 176.78 (24) | 77.71 (11) |
| 2. | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 211.20 (46) | 114.86 (29) | 114.93 (28) | 179.97 (60) | 222.63 (46) |
| 3. | 15-स्थानीय शासन | 1,462.93 (27) | 2,168.63 (43) | 2,263.66 (41) | 3,765.83 (51) | 3,696.80 (45) |
| 4. | 17-रोजगार | 56.52 (24) | 45.37 (13) | 69.75 (15) | 243.03 (37) | 188.41 (21) |
| 5. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 122.11 (29) | 185.11 (37) | 201.65 (31) | 350.68 (43) | 462.29 (46) |
| 6. | 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण | 357.63 (47) | 325.97 (45) | 226.64 (44) | 139.49 (27) | 152.84 (28) |
| 7. | 21-महिला एवं बाल विकास | 232.26 (22) | 476.58 (34) | 409.27 (29) | 362.76 (24) | 610.47 (33) |
| 8. | 22-एससी, एसटी, अन्य बीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 18.83 (14) | 29.77 (16) | 175.71 (59) | 31.70 (19) | 59.55 (21) |
| 9. | 24-सिंचाई | 519.63 (27) | 214.32 (13) | 265.50 (15) | 1,133.01 (43) | 1,046.22 (34) |
| 10. | 25-उद्योग | 234.39 (64) | 343.58 (61) | 60.84 (19) | 69.71 (24) | 156.87 (34) |
| 11. | 27-कृषि | 648.44 (34) | 956.78 (35) | 1,542.96 (50) | 1,694.77 (42) | 1,284.47 (33) |

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | बचत की राशि | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 12. | 28-पशुपालन तथा डेयरी विकास | 88.83 (12) | 107.55 (12) | 183.11 (18) | 291.09 (25) | 290.29 (24) |
| 13. | 29-मछली पालन | 42.61 (48) | 32.75 (39) | 22.51 (30) | 56.10 (46) | 51.04 (41) |
| 14. | 30-वन एवं वन्य प्राणी | 142.21 (31) | 143.96 (32) | 178.39 (35) | 66.77 (12) | 292.07 (36) |
| 15. | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 1,193.68 (26) | 1,261.75 (26) | 1,341.36 (25) | 2,411.30 (35) | 4,171.72 (68) |
| 16. | 34-परिवहन | 277.38 (12) | 406.76 (16) | 387.16 (16) | 489.67 (22) | 365.26 (15) |
| 17. | 37-निर्वाचन | 38.15 (53) | 30.63 (40) | 171.11 (56) | 29.76 (33) | 48.20 (44) |
| 18. | 38-सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 238.01 (12) | 194.49 (10) | 345.02 (16) | 247.94 (10) | 616.62 (25) |
| 19. | 39-सूचना एवं प्रचार | 29.55 (18) | 194.72 (47) | 30.68 (12) | 73.53 (36) | 56.10 (21) |
| 20. | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 2,922.16 (28) | 892.38 (11) | 1,838.25 (21) | 1,896.33 (25) | 2,203.98 (24) |
| 21. | 42-न्याय प्रशासन | 140.01 (21) | 194.48 (25) | 286.45 (31) | 347.04 (35) | 200.44 (22) |
| 22. | 43-जेल | 50.37 (20) | 70.49 (25) | 60.26 (22) | 61.59 (20) | 40.40 (13) |
| पूँजीगत (दलमत) | | | | | | |
| 23. | 7-योजना एवं सांख्यिकी | 110.76 (27) | 310.14 (44) | 172.39 (42) | 200.48 (65) | 151.26 (38) |
| 24. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 14.30 (37) | 53.33 (78) | 32.13 (42) | 58.99 (48) | 64.71 (60) |
| 25. | 21-महिला एवं बाल विकास | 110.87 (64) | 77.01 (48) | 127.84 (88) | 114.85 (67) | 94.05 (63) |
| 26. | 32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 1,200.00 (100) | 96.14 (96) | 271.41 (90) | 229.94 (70) | 49.97 (33) |
| 27. | 34-परिवहन | 45.64 (17) | 163.57 (47) | 488.07 (88) | 224.70 (53) | 391.50 (60) |
| 28. | 35-पर्यटन | 50.48 (75) | 23.70 (50) | 10.55 (27) | 36.88 (57) | 56.05 (74) |
| 29. | 36-गृह | 82.15 (27) | 154.20 (38) | 180.30 (44) | 94.64 (37) | 97.82 (42) |
| 30. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 273.98 (19) | 294.53 (17) | 296.86 (20) | 1,033.54 (52) | 526.11 (23) |
| 31. | 45-ऋण एवं अभिम | 208.95 (13) | 1,256.32 (62) | 373.02 (22) | 4,166.81 (12) | 1,162.11 (55) |
| पूँजीगत (भारित) | | | | | | |
| 32. | 24-सिंचाई | 12.39 (18) | 10.21 (15) | 37.26 (35) | 116.80 (78) | 84.64 (85) |
| 33. | लोक ऋण | 3,606.12 (36) | 2,081.88 (11) | 4,481.64 (22) | 4,166.81 (12) | 2,688.24 (10) |

- कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत की संवीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत 71 योजनाओं में लगातार बचत पाई गई जिनमें बजट प्रावधान ₹ पांच करोड़ या अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बचत वाली योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

3.3.6.1 अधिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के एक अनुदान संख्या 7-योजना एवं सांख्यिकी तथा अनुदान संख्या 23- खाद्य एवं आपूर्ति के एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 47.10 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 63.47 करोड़ का अधिक संवितरण था। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार पर प्रमुख शीर्ष-वार अधिक संवितरण **तालिका 3.3.6.1** में दिया गया है।

तालिका 3.3.6.1: 2021-22 के दौरान प्रमुख शीर्ष-वार अधिक संवितरण के विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | प्रमुख शीर्ष | प्रमुख शीर्ष विवरण | कुल प्रावधान | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य(+) |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1. | 7 योजना एवं सांख्यिकी | 3451 | सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 2,414.50 | 9,083.19 | 6,668.69 |
| 2. | | 3454 | जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | 2,275.70 | 1,950.12 | -325.58 |
| कुल | | | | 4,690.20 | 11,033.31 | 6,343.11 |
| 3. | 23 खाद्य एवं आपूर्ति | 2408 | खाद्य भंडार एवं भंडारण | 20.00 | 23.99 | 3.99 |
| कुल | | | | 20.00 | 23.99 | 3.99 |
| कुल योग | | | | 4,710.20 | 11,057.30 | 6,347.10 |

प्रमुख शीर्ष 3451 के अंतर्गत, आधिक्य मुख्य रूप से स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में अधिक व्यय और नीति आयोग के अंतर्गत फील्ड स्टाफ के वेतन के कारण था। प्रमुख शीर्ष 2408 के अंतर्गत, विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुसार मुख्य रूप से वास्तविक व्यय के कारण आधिक्य था। अतः अनुदान संख्या 7 एवं 23 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 63.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था तथा इसे नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2019-20 से संबंधित दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण और वर्ष 2020-21 से संबंधित एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 21.93 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है (अगस्त 2022)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन,

कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2021-22 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,95,689.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,50,162.15 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2021-22 में ₹ 45,527.29 करोड़ (23.27 प्रतिशत) की बचत हुई, जैसा कि **तालिका 3.4.1.1** में वर्णित है।

तालिका 3.4.1.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति


(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोजन | अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| दत्तमत | I राजस्व | 97,894.49 | 16,164.45 | 1,14,058.94 | 80,844.04 | (-) 33,214.90 |
| | II पूंजीगत | 26,277.66 | 4,709.93 | 30,987.59 | 24,241.68 | (-) 6,745.91 |
| | III ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | (-) 1,162.11 |
| कुल दत्तमत | 1,25,411.58 | 21,763.32 | 1,47,174.90 | 1,06,051.98 | (-) 41,122.92 | |
| भारित | IV राजस्व | 20,178.55 | 24.80 | 20,203.35 | 18,597.21 | (-) 1,606.14 |
| | V पूंजीगत | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 40.00 | (-) 110.00 |
| | VI लोक ऋण पुनर्भुगतान | 28,161.19 | 0.00 | 28,161.19 | 25,472.96 | (-) 2,688.23 |
| | कुल भारत | 48,489.74 | 24.80 | 48,514.54 | 44,110.17 | (-) 4,404.37 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्ष (₹ 1,016.21 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 13,236.11 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 21,788.12 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष के समान था।



राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,27,484.26⁸ करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित

⁸ राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

कर ₹ 1,25,222.67 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,10,436.87 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां तालिका 3.4.1.2 में दी गई हैं।

तालिका 3.4.1.2: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| मूल बजट | 92,384.38 | 1,02,732.54 | 1,11,908.84 | 1,19,751.97 | 1,27,484.26 |
| संशोधित अनुमान | 93,685.52 | 1,02,779.09 | 1,08,203.33 | 1,03,156.85 | 1,25,222.67 |
| वास्तविक व्यय | 88,190.15 | 93,217.78 | 1,03,823.39 | 96,742.00 | 1,10,436.87 |
| बचत | 5,495.37 | 9,561.31 | 4,379.94 | 6,414.85 | 14,785.80 |

स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय तालिका 3.4.2.1 में दिया गया है:

तालिका 3.4.2.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम और वर्गीकरण | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|----------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना (2401-113-82) | 306.00 | 15.85 | (-) 290.15 |
| 2 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80) | 200.00 | 132.13 | (-) 67.87 |
| 3 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-111-90) | 517.50 | 492.79 | (-) 24.71 |
| 4 | हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-सामान्य योजना (2415-01-277-99-99) | 485.00 | 416.68 | (-) 68.32 |
| 5 | विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्र.यो.) (2515-106-99) | 180.20 | 2.18 | (-) 178.02 |
| 6 | राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-101-89) | 1,375.00 | 0.00 | (-) 1,375.00 |
| 7 | हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (ह.ग्र.वि.यो.) (2515-102-94) | 350.00 | 172.55 | (-) 177.45 |
| 8 | बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया गया (4515-101-99) | 150.00 | 100.00 | (-) 50.00 |
| 9 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99) | 532.37 | 99.82 | (-) 432.55 |
| 10 | राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना (2810-101-98) | 200.00 | 374.63 | 174.63 |
| 11 | ग्रामीण सड़कें- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण, सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99) | 150.00 | 91.16 | (-) 58.84 |
| 12 | निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99) | 400.65 | 357.27 | (-) 43.38 |
| 13 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98) | 3,694.04 | 4,109.68 | 415.64 |
| 14 | अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2235-02-101-95) | 101.00 | 67.27 | (-) 33.73 |
| 15 | गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2230-03-001-91) | 210.00 | 165.00 | (-) 45.00 |
| | कुल | 8,851.76 | 6,597.01 | (-) 2,254.75 |

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2021-22 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 8,851.76 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,597.01 करोड़ (74.53 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 15 में से पांच योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण

न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आबंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 29 अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत 44 निष्पादन से जुड़ी हुई परिव्यय योजनाओं के लिए ₹ 10,398.60 करोड़ (₹ 409.99 करोड़ का मूल बजट, ₹ 9,988.61 करोड़ का पूरक अनुमान) का प्रावधान किया गया था (परिशिष्ट 3.7)। योजना के अनुसार, निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय विभागों की अवशोषण और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद वित्त विभाग को बजट के पुनः आबंटन की सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, यह देखा गया था कि वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 4 अनुदानों के अंतर्गत, निष्पादन से जुड़ी हुई परिव्यय योजना की राशि (अनुदान संख्या 4, 8, 38 और 40) का पुनर्विनियोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, 17 अनुदानों के अंतर्गत 24 योजनाओं में पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।

यह यथार्थवादी वित्तीय नियोजन की कमी को दर्शाता है। वित्त विभाग राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा। बचत और पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सरकार यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार कर सकती है।

3.4.4 व्यय की अधिकता

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 3.8** में सूचीबद्ध 18 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 24 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कुल ₹ 13,282.42 करोड़ के व्यय में से ₹ 6,887.23 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2022 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र एक महीने में 52 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 63 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

आगे यह देखा गया कि ₹ 13,282.42 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,749.31 करोड़ अनुदान संख्या 40 के अंतर्गत केवल एक प्रमुख शीर्ष 2801-विद्युत के संबंध में था। इस ₹ 6,749.31 करोड़ में से ₹ 3,538.11 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2022 माह के दौरान सब्सिडी की ओर किया गया था। इसी तरह, मार्च 2022 माह के दौरान प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण में कमी के लिए विनियोग के अंतर्गत सिंकिंग निधि में अंशदान के लिए ₹ 500 करोड़ थे।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4.5 आकस्मिक निधि से अग्रिम

हरियाणा आकस्मिक निधि नियम, 1967 के नियम 3 में प्रावधान है कि आकस्मिक व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया जाएगा। यदि बजट में किसी विशेष सेवा के लिए प्रावधान अपर्याप्त पाया जाता है और अनुदान के भीतर बचत से पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है या बजट में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं पर खर्च करने की आवश्यकता है, तो निधि से एक अग्रिम लिया जाएगा। निधि से कोई सांकेतिक अग्रिम नहीं होगा। अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली पूरक मांग, हालांकि, एक सांकेतिक राशि के लिए हो सकती है यदि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर बचत उपलब्ध होने की संभावना है।

यह देखा गया था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आठ योजनाओं (₹ एक करोड़ और अधिक) के संबंध में आकस्मिक निधि से ₹ 900 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में आहरित की गई थी, जिसे विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए तीसरे पूरक अनुमान के माध्यम से वसूल किया था जैसा कि **तालिका 3.4.5.1** में विवरण दिए गए हैं। यह भी देखा गया था कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य के बजाय इन योजनाओं पर आकस्मिक निधि से अग्रिम आहरित किया गया जो हरियाणा आकस्मिक निधि नियम, 1967 के नियम 3 के उल्लंघन में था।

तालिका 3.4.5.1: उन योजनाओं के विवरण जिनमें आकस्मिक निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई थी

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजनाओं की नामपद्धति | मूल बजट | पूरक अनुमान | कुल | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|----------|--|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| 1 | निराश्रित बच्चे योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-02-789-91-51] | 95.00 | 19.34 | 114.34 | 91.08 | (-)23.26 |
| 2 | दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन (अनुसूचित जाति) [पी-01-20-2235-60-789-97-51] | 115.00 | 0.81 | 115.81 | 105.76 | (-)10.05 |
| 3 | अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता [पी-01-20-2235-60-789-99-51] | 1,100.00 | 35.39 | 1,135.39 | 1,049.78 | (-)85.61 |
| 4 | निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-02-102-99-51] | 330.00 | 70.65 | 400.65 | 357.27 | (-)43.38 |
| 5 | निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता [पी-02-20-2235-60-102-96-51] | 1,650.00 | 325.25 | 1,975.25 | 1,801.55 | (-)173.70 |
| 6 | निराश्रित महिलाओं और विधवाओं (अनुसूचित जाति) को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-60-789-98-51] | 450.00 | 84.31 | 534.31 | 459.48 | (-)74.83 |

| क्र. सं. | योजनाओं की नामपद्धति | मूल बजट | पूरक अनुमान | कुल | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|----------|--|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| 7 | डिफरेंटली एबल पर्सन को पेंशन [पी-02-20-2235-60-102-95-51] | 400.00 | 0.20 | 400.20 | 415.06 | 14.86 |
| 8 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना [पी-02-20-2235-60-102-98-51] | 3,330.00 | 364.04 | 3,694.04 | 4,109.68 | 415.64 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, तीन⁹ योजनाओं के संबंध में आकस्मिक निधि से निकासी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मूल बजट प्रावधान से कम व्यय किया गया था। तीन¹⁰ योजनाओं, जिनमें कुल¹¹ प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय किया गया था, के संबंध में आकस्मिक निधि से अत्यधिक आहरण किया गया था। दो¹² योजनाओं, जिनमें कुल प्रावधान के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया था, में आकस्मिक निधि से अपर्याप्त आहरण था।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.5.1 अनुदान संख्या 06-वित्त

3.5.1.1 प्रस्तावना

अनुदान संख्या 06¹³-“वित्त” के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई (सितंबर 2022)।

3.5.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त विभाग को अनुदान संख्या 6 के लिए ₹ 40,170.39 करोड़ का बजट प्रदान किया। वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण नीचे तालिका 3.5.1.1 में दिया गया है:

तालिका 3.5.1.1: वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान | पूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| दत्तमत | | | | | |
| राजस्व | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.91 | -9,003.74 (45) |
| पूंजीगत | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 8.00 | -2.32 (22) |
| भारित | | | | | |
| राजस्व | 19,943.42 | 0.00 | 19,943.42 | 18,361.60 | -1,581.82 (8) |
| कुल | 39,288.89 | 881.50 | 40,170.39 | 29,582.51 | -10,587.88 (26) |

(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर

2021-22 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक

⁹ तालिका 3.9 की क्रम संख्या 1, 2 और 3

¹⁰ तालिका 3.9 की क्रम संख्या 4, 5 और 6

¹¹ मूल प्रावधान + पूरक अनुमान।

¹² तालिका 3.9 की क्रम संख्या 7 और 8

¹³ इसमें प्रमुख शीर्ष: 2047-अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049-ब्याज भुगतान, 2054-ट्रेजरी और लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय, 4885-उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय का समावेश है।

4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, अनुपूरक और वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 3.5.1.2** में दिया गया है।

तालिका 3.5.1.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | व्यय की प्रकृति | मूल | पूरक | कुल | व्यय | आधिक्य(+)/ बचत(-) | बचत/आधिक्य की प्रतिशतता |
|---------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 2019-20 | राजस्व (दत्तमत) | 10,584.69 | 14.43 | 10,599.12 | 9,064.73 | (-) 1,534.39 | (-) 14% |
| | राजस्व (भारित) | 16,799.62 | 0 | 16,799.62 | 15,588.01 | (-) 1,211.61 | (-) 7% |
| | पूँजीगत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | कुल | 27,384.31 | 14.43 | 27,398.74 | 24,652.74 | (-) 2,746.00 | (-) 10% |
| 2020-21 | राजस्व (दत्तमत) | 9,994.14 | 394.49 | 10,388.63 | 10,178.12 | (-) 210.51 | (-) 2% |
| | राजस्व (भारित) | 18,304.58 | 0 | 18,304.58 | 17,114.67 | (-) 1,189.91 | (-) 7% |
| | पूँजीगत | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | (-) 0.10 | (-) 100% |
| | कुल | 28,298.82 | 394.49 | 28,693.31 | 27,292.79 | (-) 1,400.52 | (-) 5% |
| 2021-22 | राजस्व (दत्तमत) | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.91 | (-) 9,003.74 | (-) 45% |
| | राजस्व (भारित) | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | (-) 1,581.82 | (-) 8% |
| | पूँजीगत | 10.32 | 0 | 10.32 | 8.00 | (-) 2.32 | (-) 22% |
| | कुल | 39,288.89 | 881.50 | 40,170.39 | 29,582.51 | (-) 10,587.88 | (-) 26% |

अनुदान संख्या 6-वित्त के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान के 5 से 26 प्रतिशत के मध्य बचत थी। देय दावों को प्रस्तुत न करना, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निधियों को जारी न करना और अनुमान के बाद स्थिति में परिवर्तन बचत का संभावित कारण हो सकता है। मामला वित्त विभाग हरियाणा के पास भेजा गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उनका मिलान किया जाना है।

(iii) अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण

2021-22 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक 4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 6-वित्त के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि नौ योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8,792.93 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहा जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उसका मिलान किया जाएगा।

(iv) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 6-वित्त के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि विभागों ने 31 मार्च 2022 को **परिशिष्ट 3.10** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 28,357.31 करोड़ (कुल बजट प्रावधानों का 70.59 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिए और अन्य विकास उद्देश्यों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अभ्यर्पण किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उसका मिलान किया जाएगा।

(v) सहायता अनुदान

हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को लघु शीर्ष 115- मूलभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता के अंतर्गत शीर्ष 3475 के तहत ₹ 10 लाख का एक सहायता अनुदान जारी किया गया था (नवंबर 2019)। अनुदान के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मामला विभाग के पास भेजा गया था और विभाग ने उत्तर दिया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि कुल अनुदान का पूरा उपयोग नहीं किया गया था और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया था कि अनुदान मूलभूत संरचना कार्य के लिए नहीं अपितु आवर्ती व्यय के लिए था।

3.5.1.3 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान का 74 प्रतिशत था। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे। 31 मार्च 2022 को ₹ 28,357.31 करोड़ (कुल का 70.59 प्रतिशत) अभ्यर्पित किए गए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 75.29 प्रतिशत था जो कि निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है।

3.5.2 अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य

3.5.2.1 प्रस्तावना

स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा की जाती है और प्रधान कार्यालय में उन्हें एक अपर महानिदेशक, सात निदेशकों, एक अपर निदेशक (प्रशासन), एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और उप-निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

जिला स्तर पर सिविल सर्जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख हैं जबकि सिविल अस्पतालों की अध्यक्षता प्रधान चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा की

जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अध्यक्षता क्रमशः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है।

विभाग का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विभाग को प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग सभी को पर्याप्त, सुलभ, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कमी आती है।

सितंबर 2022 के दौरान अनुदान संख्या 13¹⁴-स्वास्थ्य के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई।

3.5.2.2 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चयन के लिए नमूनाकरण पद्धति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के वीएलसी अनुभाग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹⁵ का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्तरीकृत¹⁶ प्रतिचयन के माध्यम से किया गया। उपर्युक्त चयनित 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से छः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पहले स्तर से, तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दूसरे स्तर से और दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तीसरे स्तर से चुना गया था।

3.5.2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग को अनुदान संख्या-13 के लिए ₹ 8545.32 करोड़ का बजट प्रदान किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.5.2.1 में दर्शाया गया है:

¹⁴ इसमें प्रमुख शीर्ष -2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, -2211-परिवार कल्याण, -4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय और -4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय का समावेश है।

¹⁵ (i) निदेशक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हरियाणा, पंचकुला, (ii) निदेशक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल, (iii) महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकुला (iv) निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद, (v) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला, (vi) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी, (vii) सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र, (viii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, पानीपत, (ix) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा, (x) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया, (xi) बजट अधिकारी, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।

¹⁶ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया और तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया। पहले 10 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (रैंक 1 से 10 तक) को पहले स्तर में लिया गया, 60 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (रैंक 11 से 70 तक) को दूसरे स्तर पर और शेष आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तीसरे स्तर में लिया गया।

तालिका 3.5.2.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत | बचत प्रतिशतता |
|-----------------|---------|------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
| दत्तमत | राजस्व | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | 1,123.75 | 15.77 |
| | पूंजीगत | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.70 | 523.91 | 36.91 |
| भारित | राजस्व | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 70.00 |
| कुल | | 7,336.75 | 1,208.58 | 8,545.33 | 6,897.53 | 1,647.80 | 19.28 |

(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर

वित्त विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए (नवंबर 2020)। योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 13 हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 8,545.33 करोड़ का बजट तैयार किया गया था जिसके विरुद्ध व्यय ₹ 6,897.53 करोड़ था। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट और वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 3.5.2.2** में दिया गया है।

तालिका 3.5.2.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | व्यय | बचत | बचत (प्रतिशतता) |
|---------|--------------|----------|----------|-----------------|
| 2019-20 | 5,555.15 | 4,795.00 | 760.15 | 13.68 |
| 2020-21 | 7,595.10 | 5,849.34 | 1,745.76 | 22.99 |
| 2021-22 | 8,545.33 | 6,897.53 | 1,647.80 | 19.28 |

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत ₹ 760.15 करोड़ से ₹ 1,745.76 करोड़ के मध्य थी। उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता बजट प्रावधानों के विरुद्ध 13.68 प्रतिशत से 22.99 प्रतिशत के मध्य थी। आगे यह भी देखा गया था कि 21 योजनाओं के लिए कुल ₹ 426.07 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। इन योजनाओं के लिए ₹ 539.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के लिए कुल ₹ 965.14 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन इस प्रावधान पर कोई व्यय नहीं किया गया था (विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है)। यह दर्शाता है कि उपर्युक्त योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका। कुछ योजनाओं में बचत के कारण इस प्रकार थे (जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया):

(क) 'डीएमईआर का निर्माण कार्य': ₹ 10 करोड़ की बचत इस तथ्य के कारण थी कि कार्यकारी एजेंसी ने सिविल ठेकेदार को 13 नवंबर 2020 को कार्य आबंटित किया था और निर्माण कार्य साइट पर शुरू किया गया था लेकिन कार्यकारी एजेंसी ने निधियों की आवश्यकता प्रस्तुत नहीं की थी।

(ख) 'एम्स, मनेठी का निर्माण कार्य': ₹ 50 करोड़ की बचत सरकार/निर्माण शाखा द्वारा प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार वास्तविक व्यय के कारण थी।

- (ग) 'डेंटल कॉलेज, नल्हर का निर्माण कार्य': ₹ 5 करोड़ की बचत सरकार/निर्माण शाखा द्वारा प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार वास्तविक व्यय के कारण थी।
- (घ) 'निष्पादन से जुड़ा परिव्यय': ₹ 360.88 करोड़ की बचत योजना को लागू न करने के कारण थी (यह एक प्रोत्साहन-आधारित योजना है)।

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान पांच क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁷ में 10 प्रतिशत से अधिक की बचत पाई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 29.69 करोड़ (34 प्रतिशत) की अधिकतम बचत अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद में मुख्य रूप से अस्पताल के कार्य न करने और कर्मचारियों की तैनाती न करने के कारण हुई थी। आगे कल्पना चावला राजकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल, करनाल (केसीजीएमसी) में ₹ 24.57 करोड़ (15 प्रतिशत) की बचत हुई जो वेतन का भुगतान न करने, कर्मचारियों के बकाया, वाहनों की खरीद न होने तथा विभिन्न लंबित दावों के कारण थी। अन्य सरकारी संस्थानों जैसे अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बचत संविदा कर्मचारियों आदि की कम नियुक्ति के कारण हुई। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सिविल सर्जन, भिवानी में संविदा सेवाओं के अंतर्गत ₹ 4.86 करोड़ की बचत देखी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 30/03/2022 को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा सिविल सर्जन, भिवानी को ₹ 4.86 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। उपर्युक्त राशि के बिल सिविल सर्जन, भिवानी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे लेकिन 31 मार्च 2022 को अनुमोदन के लिए वित्त विभाग के पास लंबित थे। बिलों/लंबित दावों का समाधान न होने के कारण उस सीमा तक बचतों को अधिक बताया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान चयनित 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बचत के विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाए गए हैं।

(iii) अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुल ₹ 1,208.58 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान से कम था जैसा कि **तालिका 3.5.2.3** में दर्शाया गया है।

¹⁷ (i) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (ii) निदेशक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल (iii) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद (iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी (v) बजट अधिकारी, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।

तालिका 3.5.2.3: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण

| शीर्ष | मूल | अनुपूरक | व्यय | मूल के संबंध में व्यय प्रतिशतता |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 2210 | 5,886.07 | 947.70 | 5,763.18 | 97.91 |
| 4210 | 1,138.73 | 260.88 | 895.70 | 78.66 |
| कुल | 7,024.80 | 1,208.58 | 6,658.88 | 94.79 |

आगे यह देखा गया था कि पांच योजनाओं के मामले में, ₹ 559.08 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्रदान किया गया था जो अनावश्यक था क्योंकि अनुपूरक अनुदान मूल अनुदान से कोई व्यय न होने या कम व्यय के बावजूद प्रदान किया गया था (जैसा कि **परिशिष्ट 3.13** में वर्णित है)। प्रतिशतता व्यय मूल अनुदान के शून्य प्रतिशत से 97.93 प्रतिशत के मध्य रहा।

यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन और मूल्यांकन किए बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे। मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022) लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था।

(iv) स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत आठ योजनाओं में बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 21 योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 965.14 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहे (जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** विवरण में दिया गया है)। उल्लिखित योजनाओं के लिए किए गए बजट के संपूर्ण प्रावधान का अंततः पुनर्विनियोजन किया गया और योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

(v) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार, सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग के पास सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 1,659.65 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट 3.14** में दर्शाया गया है), अन्य विकास उद्देश्यों में उपयोग के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए अभ्यर्पित किए गए थे। पंजाब बजट मैनुअल के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022), लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था।

(vi) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

जीएफआर 2017 के नियम 239 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए प्रारूप जीएफआर 12-सी में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह के प्रावधान नियम 238(1) में निहित हैं, जो किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदान के संबंध में लागू होते हैं, जहां उपयोग प्रारूप

12-ए में प्रस्तुत किया जाना है। संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया था कि राज्य में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के कारण निधियां कार्यान्वयन इकाइयों को हस्तांतरित की गई थी, जिनके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्राही कार्यालय से प्राप्त किए जाने थे। निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि पांच मामलों में ₹ 67.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्राही इकाइयों से प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** में वर्णित है।

आगे यह देखा गया कि सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल में निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ₹ 116.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक से तीन वर्षों तक लंबित थे क्योंकि कार्य प्रगति पर था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था जैसा कि **परिशिष्ट 3.16** में दर्शाया गया है।

(vii) सरकारी अनुदानों से अर्जित ब्याज का प्रेषण न करना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार यथानुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य से संबंधित अभिलेखों और बैंक विवरणों की जांच से पता चला कि वर्ष 2021-22 के दौरान दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विभिन्न बैंक खातों में केन्द्र सरकार की योजनाओं के कारण ₹ 39.66 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ और सात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹⁸ के विभिन्न बैंक खातों में राज्य सरकार की योजनाओं के कारण ₹ 3.30 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट 3.17** में दर्शाया गया है)। उक्त निर्देश के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज की कोई राशि संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं की गई थी।

(viii) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है।

आगे, बैंकों से डील करने के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के

¹⁸ (i) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद, (ii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला, (iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी, (iv) सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र, (v) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जनरल/सिविल अस्पताल, पानीपत (vi) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा, (vii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया।

अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी बैंक खाते में निधियों को निष्क्रिय रखने के लिए उनकी निकासी नहीं करनी चाहिए।

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्देशों और नीति के उल्लंघन में केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण मार्च 2022 तक दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 18.23 करोड़ की निधियां पड़ी थी और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण सात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 1.03 करोड़ पड़े थे (जैसा कि **परिशिष्ट 3.17** में वर्णित है)।

(ix) हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 19.25 करोड़ के सहायता अनुदान के अभ्यर्पण पर अर्जित ब्याज को जमा न करना

वित्त विभाग ने यू.ओ. नंबर 28/43/2010-1बी एंड सी दिनांक 9 मार्च 2011 के अंतर्गत निदेश दिया कि ऐसे सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटियां, जिन्हें विभिन्न विभाग कार्यों/खरीद के लिए निधियां प्रदान करते हैं, ऐसे विभागों को अर्धवार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उनके द्वारा निधियों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है। निधि की प्राप्ति की तारीख और उपयोग की तारीख के बीच दो सप्ताह के अंतर की ब्याज मुक्त अवधि के रूप में अनुमति दी जा सकती है। ऐसी संस्थाओं से अर्धवार्षिक आधार पर राशि की वसूली एवं प्राप्ति शीर्ष-0049 ब्याज प्राप्ति में जमा कराने के लिए प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा, जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार, हरियाणा के अनुमोदन से एक विशिष्ट योजना बनाई जाएगी।

बजट अधिकारी, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को 'अस्पतालों में सुधार और विस्तार' योजना के अंतर्गत ₹ 64 करोड़ की राशि का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था (अप्रैल 2021)। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने वर्ष 2021-22 के दौरान चार किस्तों में प्रबंध निदेशक, हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को कुल ₹ 64 करोड़ की राशि अंतरित की। आगे यह देखा गया कि ₹ 64 करोड़ में से ₹ 44.75 करोड़ की राशि का उपयोग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा 2021-22 के दौरान किया गया था और शेष अप्रयुक्त राशि अर्थात् ₹ 19.25 करोड़ को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा जून 2022 में ब्याज का भुगतान किए बिना अभ्यर्पित कर दिया गया था। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को ब्याज राशि जमा करने के लिए पत्र भेजा गया था (अगस्त 2022)। हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2022) तक ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशानुसार उक्त राशि पर ब्याज हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी खाते में जमा किया जाए।

(x) ₹ 55.58 लाख के एसी बिलों का समायोजन न करना

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रतिया, फतेहाबाद एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा

महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि निम्नलिखित राशि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), फतेहाबाद और हारट्रॉन को नीचे वर्णित उद्देश्य के लिए अंतरित कर दी गई है।

- (क) नवंबर 2019 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रतिया, फतेहाबाद द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), फतेहाबाद को ₹ 37.75 लाख की राशि अंतरित की गई थी।
- (ख) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छँसा, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2021 (₹ 14.08 लाख) और 18 नवंबर 2021 (₹ 3.75 लाख) को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) को ₹ 17.83 लाख की राशि अंतरित की गई थी जैसा कि नीचे विवरण दिए गए हैं:

| वर्ष | कार्य का नाम | अग्रिम दिया गया (₹ लाख में) |
|---------|---|-----------------------------|
| 2019-20 | जिला फतेहाबाद के रतिया में स्थित सिविल अस्पताल के परिसर में 4 डॉक्टरों के आवास में एस/आर से ईआई के लिए अनुमान | 2.35 |
| | जिला फतेहाबाद के ग्राम नागपुर में पीएचसी आई/सी आवासों की विशेष मरम्मत के लिए विस्तृत अनुमान | 22.42 |
| | जिला फतेहाबाद में सीएचसी के परिसर में डॉक्टरों के आवास की विशेष मरम्मत का अनुमान | 12.98 |
| 2021-22 | कंप्यूटर सिस्टम (13) और मल्टीफंक्शनल प्रिंटर (20) | 14.08 |
| | मल्टीफंक्शनल प्रिंटर-कम-फोटोकॉपियर (04) | 3.75 |
| | कुल | 55.58 |

उपर्युक्त राशि के उपयोग के बाद, उपर्युक्त अग्रिमों को प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन ये चार माह से दो वर्ष की अवधि के बाद भी 31 मार्च 2022 तक असमायोजित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि ₹ 37.75 लाख के अग्रिम को खजाना, फतेहाबाद द्वारा समायोजित किया गया था (जुलाई 2022), लेकिन विस्तृत बिलों की प्रति उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.5.2.4 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजटीय और वित्तीय प्रणाली सही नहीं थी क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान का 80.72 प्रतिशत था। 21 योजनाओं के लिए ₹ 965.14 करोड़ के बजट का पूरा प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के लिए बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए योजनाओं का वास्तविक लाभ इसके लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाया जा सका। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 1,659.65 करोड़ अन्य विकास उद्देश्यों में उपयोग के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि विभाग के अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था, जो कि निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है।

3.5.3 अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय

3.5.3.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया। पीआरआई के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग के अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केंद्र सरकार के अनुदान शामिल हैं। प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों एवं गलियों के रखरखाव आदि सहित बुनियादी सेवाओं की सुपुर्दगी को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया जाता है।

अनुदान संख्या 32¹⁹-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई (जुलाई 2022)।

3.5.3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान विभागों (विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग) को अनुदान संख्या 32 के लिए ₹ 6,278.95 करोड़ का बजट प्रदान किया। वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण **तालिका 3.5.3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.5.3.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|-----------------|---------|------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| दत्तमत | राजस्व | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | 4,171.72 (68.07) |
| | पूंजीगत | 150.01 | 0.00 | 150.01 | 100.04 | 49.97 (33.31) |
| भारित | राजस्व | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.38 (95) |
| कुल | | 5,986.58 | 292.37 | 6,278.95 | 2,056.88 | 4,222.07 (67.24) |

(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर

2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक 4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32 हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 6,278.95 करोड़ का बजट तैयार किया गया था जिसके विरुद्ध ₹ 2,056.88 करोड़ का व्यय किया गया था। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, अनुपूरक बजटीय प्रावधानों और व्यय का विवरण **तालिका 3.5.3.2** में दिया गया है।

¹⁹ इसमें प्रमुख शीर्षग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-2501-, -2505ग्रामीण रोजगार, -2515अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, -2553सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, -3604स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और असाइनमेंट, -4515अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय का समावेश है।

तालिका 3.5.3.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | मूल प्रावधान | अनुपूरक | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत) |
|---------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| 2019-20 | 5,199.00 | 383.14 | 5,582.14 | 3,969.05 | 1,613.09 (29) |
| 2020-21 | 6,301.00 | 921.70 | 7,222.70 | 4,581.10 | 2,641.60 (37) |
| 2021-22 | 5,986.58 | 292.37 | 6,278.95 | 2,056.88 | 4,222.07 (67) |

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजटीय प्रावधानों और व्यय की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बचत, बजटीय प्रावधान के 29 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य थी। 2021-22 के दौरान 49 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत, बजटीय प्रावधानों के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.18** में वर्णित है।

कम उपयोग को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2022) और विभाग से कम उपयोग के कारण बताने का अनुरोध किया गया था। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि अधिकांश योजनाएं/परियोजनाएं चल रही थीं और समय लेने वाली थीं, तथा तकनीकी समस्याओं जैसे साइट की समस्याएं, परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता आदि के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि विधायक आदर्श ग्राम योजना अप्रैल 2020 से बंद थी और केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अंशों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह निर्धारित किया गया था कि विभाग को योजनाओं/परियोजना की प्रकृति के बारे में पता था और तदनुसार बजट तैयार किया जा सकता था। विधायक आदर्श ग्राम योजना योजना में बजट प्रावधान योजना को रोके जाने (जून 2020) के बाद किया गया था (नवंबर 2020)। उपर्युक्त का आकलन विभाग की ओर से बढ़े हुए बजटीय प्रावधान को दर्शाने के लिए किया जाता है।

(iii) अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-सामान्य योजना के अंतर्गत स्वच्छता हेतु लेखा शीर्ष पी-02-32-2515-51-102-93-99 योजना के अंतर्गत कुल ₹ 292.37 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान प्राप्त किया गया, जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 41.59 प्रतिशत था। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक प्रावधान किया गया।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि मुख्य अभियंता पंचायती राज द्वारा अनुपूरक

अनुदान की मांग की गई थी। सीमेंट के अनुबंध की समाप्ति और हरियाणा की नई दरों की अनुसूची के अनुमानों के संशोधन के कारण निधियों का कम उपयोग किया गया था। उपर्युक्त विभागीय अक्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा अनुपूरक अनुदान के लिए अनुमान वास्तविक नहीं हैं क्योंकि विभाग ने ₹ 240 करोड़ के मूल अनुदान में से केवल ₹ 99.82 करोड़ (41.59 प्रतिशत) खर्च किए।

(iv) निरंतर बचत

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग की नौ योजनाओं में ₹ 100 करोड़ से अधिक और 20 योजनाओं में ₹ सौ करोड़ से कम लेकिन ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत हुई। इन 29 योजनाओं में से विभाग के पास 2019-20 के दौरान 16 योजनाओं में और 2020-21 के दौरान 17 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत थी, जैसा कि संलग्न **परिशिष्ट 3.19** में वर्णित है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि अधिकांश योजनाएं/परियोजनाएं चल रही थीं तथा समय लेने वाली प्रक्रियाओं और कुछ तकनीकी लाक्षणिकताओं जैसे साइट की समस्याएं, परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता आदि के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ। यह आकलन किया गया है कि विभाग को योजनाओं की प्रकृति के बारे में पता था तथा तदनुसार बजटीय अनुमान लगाया जा सकता था। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि बचत केन्द्रीय अंश के निर्मुक्त न होने के कारण हुई। यह देखा गया है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजना में बचत थी और अनुमानों को बढ़ा दिया गया था।

(v) संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 14 योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 1,965.24 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.20** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) योजना की 75 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था और इसलिए मंत्रालय ने कोई निधि जारी नहीं की थी। अन्य योजनाओं के संबंध में, वित्त विभाग ने बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार निधियां जारी नहीं की थी। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि शून्य व्यय फील्ड कार्यालयों से मांग प्राप्त न होने तथा निर्वाचित ग्राम पंचायत के विद्यमान न होने के कारण था। उपर्युक्त निधि प्रबंधन और सरकार द्वारा कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाता है।

(vi) केन्द्रीय अनुदानों से अर्जित ब्याज का प्रेषण न करना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने एफ.सं.1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021

के माध्यम से निर्देश जारी किए कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार यथानुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधि (केंद्र और राज्य) को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय से संबंधित अभिलेखों और बैंक विवरणों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि वर्ष 2021-22 के दौरान पांच बैंक खातों में ₹ 3.55 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 2.14 करोड़ तथा राज्य अंश ₹ 1.42 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.21** में विवरण दिया गया है। केन्द्र सरकार की निधियों पर ₹ 2.14 करोड़ के अर्जित ब्याज की राशि उक्त निर्देशों के अनुसार संबंधित समेकित निधि में प्रेषित नहीं की गई थी।

आगे नमूना-जांच की गई 10²⁰ कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि **परिशिष्ट 3.22** में दिए गए विवरण के अनुसार नौ कार्यान्वयन एजेंसियों के 18 बैंक खातों में केन्द्र सरकार की निधियों पर ₹ 83.88 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ था, जो उक्त निर्देशों के अनुसार संबंधित समेकित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई और सितंबर 2022)। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि मनरेगा एवं रूबन योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज वापस कर दिया गया है। छः केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में अर्जित ब्याज संबंधित समेकित निधि को प्रेषित किया जाना बाकी है। कार्यान्वयन एजेंसियों का उत्तर प्रतीक्षित है।

(vii) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमत्त नहीं है। वित्त विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि बजटीय आबंटन के बल पर समेकित निधि में से आहरित निधियों को रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता के समान है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आबंटन को समेकित निधि से आहरित करने की अनुमति नहीं है और वित्तीय वर्ष के समापन के बाद किसी भी तरह से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/अनुमान के इसे रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

आगे, बैंकों से डील करने के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी बैंक खाते

²⁰ खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय अंबाला-2, बरवाला, भुना, फतेहाबाद हिसार-1 तथा जगाधरी, सचिव जिला परिषद करनाल और कुरुक्षेत्र, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पानीपत तथा कार्यकारी अभियंता पंचायती राज मंडल फतेहाबाद।

में निधियों को निष्क्रिय रखने के लिए उनकी निकासी नहीं करनी चाहिए।

निदेशक ग्रामीण विकास, विकास एवं पंचायत कार्यालय और नमूना-जांच की गई दस कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान ₹ 296.05 करोड़ (₹ 272.24 करोड़ + ₹ 23.81 करोड़) करोड़ की राशि उपर्युक्त निर्देशों और नीति के उल्लंघन में 31 मार्च 2022 को निदेशक ग्रामीण विकास, विकास एवं पंचायत और नमूना-जांच की गई नौ कार्यान्वयन एजेंसियों के नौ बैंक खातों में पड़ी थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.23** में वर्णित है। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने से बैंकों को लाभ हुआ और **परिशिष्ट 3.24** के अनुसार ₹ 4.95 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बैंक खाते में निधियों के आहरण और प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर होने वाले व्यय को स्थगित/वंचित किया जाता है। इस तरह के आहरण लोक व्यय की एक गलत तस्वीर देते हैं क्योंकि बजट में प्रदान की गई निधियां वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई थी जिसके लिए ये प्रदान की गई थी।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई और सितंबर 2022)। ग्रामीण विकास विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि एक योजना²¹ में अव्ययित शेष कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त हुए थे, दूसरी²² योजना में निधियों का उपयोग आवश्यकता के आधार पर किया गया था, तीनों²³ मामलों में एकल नोडल खातों को अधिसूचित नहीं किया गया था और एकल नोडल खातों में अंतरण के लिए राशि बैंक खाते में रखी गई। एक योजना²⁴ की अव्ययित राशि जून 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस कर दी गई थी।

वित्तीय नियमों और सरकार की नीति के दृष्टिगत उत्तर मान्य नहीं है। खजाने से निधियों का आहरण और उन्हें किसी भी बैंक खाते में निष्क्रिय रखना आर्थिक रूप से अनियमित है। निदेशक विकास एवं पंचायत और कार्यान्वयन एजेंसी का उत्तर प्रतीक्षित है।

(viii) निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों को बंद करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 12.16 के अनुसार कभी-कभी सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक प्रकृति के जमा लेनदेन के कुछ वर्गों के लिए विशेष बैंकिंग खाते रखे जाते हैं (जैसे सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्डों और संलग्न परिसंपत्तियों के खाते की प्राप्तियां और भुगतान) जिसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संवितरण को एक विशेष प्राप्ति पर किया गया माना जाए। इनका जो खाता खजाने में रखा जाता है वह बैंकिंग जमा खाते की प्रकृति का होता है। इन खातों को व्यक्तिगत जमा खाते कहा जाता है।

साधारणतः सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से बैंकिंग जमा खाता या व्यक्तिगत बही खाता खोलने की मंजूरी दी जाती है। यह आम तौर पर माना जाता है कि सरकार को ऐसे खाते को खोलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि व्यक्तिगत बही खाते में धन के प्रारंभिक खाते ठीक से बनाए गए हैं और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

²¹ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।

²² जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन।

²³ प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन।

²⁴ एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना।

इसके अलावा, जहां कानून या नियमों द्वारा कानून के बल पर व्यक्तिगत जमा खातों को विशेष अधिनियमों से उत्पन्न सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए समेकित निधि से निधियां अंतरित करके बनाया जाता है, समेकित निधि में नामे द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत जमा खातों को वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित निधि में संबंधित सेवा शीर्षों में शेष राशि को घटाकर बंद करना अपेक्षित है, अगले वर्ष फिर से खोले जा रहे व्यक्तिगत जमा खाते, यदि सामान्य ढंग से आवश्यक हो।

एमएच-8443 नागरिक जमा-106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत जमा खाता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद में ₹ 20,11,322 की राशि को बंद करने के लिए लंबित था और पिछले तीन वर्षों (अगस्त 2022) से गैर-परिचालनात्मक है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2022) कि खाता सरकार के निर्देशानुसार खोला गया था। यह भी सूचित किया गया था कि आईटी एप्लीकेशन में लेखांकन वर्गीकरण की अनुपलब्धता के कारण राशि का आहरण नहीं किया जा सका। चूंकि विभाग के पास पिछले तीन वर्षों से गैर-परिचालनात्मक व्यक्तिगत जमा खाता है और उसे निर्धारित के अनुसार बंद नहीं किया गया है।

(ix) बैंक खाते का संचालन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पत्र एफ संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से निर्देश जारी किया कि 1 जुलाई 2021 से प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगी। योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और कार्यान्वयन एजेंसियों के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एकल नोडल एजेंसी के खाते से आहरण अधिकार सौंपने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी अव्ययित राशि संबंधित एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। उपर्युक्त निर्देश राज्य की समेकित निधि से तत्काल आवश्यकता के बिना बैंक खातों में धन के अंतरण को सक्षम करते हैं और राज्य की समेकित निधि के बाहर निधियों को जमा करने के कारण अनियमित होने का आकलन किया गया है।

नमूना-जांच की गई 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के खातों को बंद नहीं किया गया था या शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था और 19 बैंक खातों में ₹ 18.66 करोड़ की शेष राशि (जैसा कि **परिशिष्ट 3.25** में वर्णित है) को योजना के एकल नोडल खाते में वापस नहीं किया गया था। यह देखा गया था कि इसमें तीन बैंक खातों का संचालन शामिल था, जहां बैंक खाता खोलने का कारण **तालिका 3.5.3.3** में विवरण के अनुसार तीन योजनाओं में एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) का संचालन न करना था।

तालिका 3.5.3.3: 2021-22 में एकल नोडल खातों के गैर-परिचालन के कारण एकल नोडल खाते में अंतरण के लिए बैंक खाते में अंतरित निधि का विवरण

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | योजना/वर्गीकरण का नाम | अंतरित राशि | 31 मार्च 2022 को खाते का अंतिम शेष | अभ्युक्तियां |
|----------|---|--------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पी-02-32-2515-51-106-96-51 | 9,52,04,975 | 62,42,77,476 | विस्तृत विनियोग लेखा 2021-22 के अनुसार कॉलम 3 में दर्शाया गया व्यय केवल राज्य का हिस्सा है |
| 2. | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पी-03-32-2515-51-106-98-51 | शून्य | 38,17,251 | |
| 3. | जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन पी-02-32-2501-06-800-87-51 | 29,13,68,000 | 16,60,80,149 | |

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। उत्तर प्रतीक्षित है।

(x) उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना

अनुदान के संस्वीकृति पत्र के अनुसार अनुदानग्राही द्वारा 12 माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा जारी की गई राशि का शत-प्रतिशत व्यय करना होगा।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल ₹ 1,525.18 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 1,525.18 करोड़ के कुल अनुदान में से केवल ₹ 37.09 करोड़ (2.43 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1,488.09 करोड़ (97.57 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे (*परिशिष्ट 3.26* में वर्णित)।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। उत्तर प्रतीक्षित है।

(xi) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागों ने अन्य प्रयोजनों के लिए अभ्यर्पित निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए 31 मार्च 2022 को ₹ 3,649.61 करोड़ (*परिशिष्ट 3.27* में वर्णित) अभ्यर्पित कर दिए।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से कम प्राक्कलन प्राप्त होने के कारण तथा मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा की गई तत्काल घोषणा के लिए निधियां हाथ में रखी गई थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंजाब बजट नियमावली के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित किया जाना था।

3.5.3.3 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजटीय और वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान का 33 प्रतिशत था। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 49 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी। बचतों में से ₹ 3,649.61 करोड़ (कुल बचत का 86.44 प्रतिशत) 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किए गए थे। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 41.59 प्रतिशत था, जो निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है। समेकित निधि में से बजटीय आबंटन के बल पर आहरित निधियों को रोककर व्यय के रूप में दर्ज करने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में गलत चित्रण हुआ। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।